प्रेस विज्ञप्ति

जनपद – सोनभद्र

दिनांक – 12.02.2026

गैंगेस्टर एक्ट के तहत सोनभद्र पुलिस की बड़ी कार्रवाई: अपराध से अर्जित दो मकान (अनुमानित कीमत लगभग 53,00,000/- रुपये) कुर्क-

जनपद सोनभद्र में संगठित अपराध पर प्रहार, धारा 14(1) के अंतर्गत की संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री अनिल कुमार के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी संबंधित के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना रामपुर बरकोनिया प्रभारी निरीक्षक थाना पन्नूगंज एवं राजस्व टीम के सहयोग से अभियुक्त द्वारा अपराध से अर्जित अवैध धन से क्रय/अर्जित की गई अचल संपत्ति (भूमि) को नियमानुसार चिन्हित कर धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क किए जाने की विधिक कार्रवाई संपन्न की गई।

थाना पन्नूगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 154/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम से संबंधित अभियुक्त 1. राजकरन चौहान पुत्र चंद्रिका चौहान तथा 2. अमित उर्फ अमिताभ चौहान पुत्र स्व0 राजकिशोर चौहान, निवासीगण ग्राम विक्रमपुर, थाना पन्नूगंज, जनपद सोनभद्र के विरुद्ध धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई।

श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट, सोनभद्र द्वारा वाद सं0 D202516660001942 (राज्य बनाम राजकरन चौहान) एवं वाद सं0 D202516660001941 (राज्य बनाम अमित उर्फ अमिताभ चौहान) में अपराध से अर्जित धन से निर्मित मकानों को कुर्क किए जाने हेतु दिनांक 07.11.2025 को आदेश पारित किया गया था।

उक्त आदेश के अनुपालन में उप जिलाधिकारी रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र के पत्रांक सं0 487/SFSDM/2025 दिनांक 01.01.2026 तथा पत्रांक सं0 483/SFSDM/2025 दिनांक 23.12.2025 के क्रम में आज दिनांक 12.02.2026 को नायब तहसीलदार श्री मनोज मिश्रा के नेतृत्व में, थाना प्रभारी रामपुर बरकोनिया श्री विनोद यादव, थाना प्रभारी पन्नूगंज श्री कुमुद शेखर सिंह एवं पुलिस बल की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम विक्रमपुर स्थित दोनों अभियुक्तों के मकानों पर विधिवत कुर्की की कार्यवाही संपादित की गई।

कुर्की की कार्यवाही के दौरान मौके पर स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई। नियमानुसार मकानों के समस्त द्वार बंद कर मुख्य गेट पर ताला लगाकर सील एवं मोहर की गई तथा नमूना मुहर तैयार की गई। कुर्की की फर्द मौके पर तैयार कर पढ़कर सुनाई गई एवं उसकी प्रति संबंधित पक्ष को प्रदान की गई। संपूर्ण कार्यवाही मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन करते हुए संपन्न की गई।

कुर्क करने वाले टीम का विवरण-

प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद यादव रामपुर बरकोनिया जनपद सोनभद्र मय पुलिस बल।
प्रभारी निरीक्षक श्री कुमुद शेखर सिंह थाना पन्नूगंज जनपद सोनभद्र मय पुलिस बल।

जनपद पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अपराध से अर्जित संपत्तियों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार की कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। संगठित अपराध में संलिप्त व्यक्तियों को न केवल विधिक दंड दिलाया जाएगा, बल्कि उनकी अवैध संपत्तियों को भी विधि सम्मत रूप से जब्त किया जाएगा, जिससे समाज में कानून का प्रभावी संदेश स्थापित हो सके।